34
264

देवी शाकुन्तलम [illegible]
अध्यक्ष

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 2057. 2009-[illegible]

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि देवी शाकुन्तलम् प्रतिष्ठान, होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुरानी जी० टी० रोड, सासाराम, जिला-रोहतास, पिन कोड-821115 (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबंधित हुई है।

आज तारीख [illegible] मास [illegible] वर्ष दो हजार [illegible] को पटना में [illegible] हस्ताक्षर [illegible] साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग द्वारा संस्था का निबंधन करता है। निबंधन की संस्था के मामले में कार्यों [illegible]

[illegible] निबंधक [illegible]

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,

निबंधन विभाग, बिहार, पटना

विषय :- "देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान" नामक संस्था के निबंधन करने के [illegible]

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि उक्त संस्था के निबंधन के लिये आम [illegible] का प्रस्ताव, स्मृति पत्र, नियमावली एवं कोषागार चालान तथा नन्जुडिशियल [illegible] पेपर आवेदन के साथ संलग्न कर महाशय के समक्ष समर्पित कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त नाम की संस्था को संस्था [illegible] 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित करने का कष्ट किया जाए।

विश्वासी

[illegible]

सचिव

दिनांक - [illegible]

अनुलग्नक :-

1. आम सभा का प्रस्ताव तीन प्रतियों में।
2. स्मृति पत्र एवं नियमावली तीन प्रतियों में।
3. कोषागार चालान, 50, 15 रुपये का।
4. नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 50 रुपया।
5. पदाधिकारियों के मतदाता पहचान-पत्र।
6. निबंधित कार्यालय से संबंधित प्रमाण-पत्र।

अनिल सिंह
अध्यक्ष
देवी शकुन्तलम प्रतिष्ठान

आम सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक 05.10.2009 को "दैवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान" नामक [illegible] अध्यक्ष श्री अनिल सिंह की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–1

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संस्था को निबंधन सोसाइटी ए एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत निबंधन कराया जाय।

प्रस्ताव संख्या–2

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संस्था के निबंधन से स कार्रवाई का कार्यभार सचिव श्री सच्चिदानंद ओझा को सौंपा गया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा समाप्ति की विधिवत् घोषणा की

ह०/
अध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम सभा प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव
अनिल सिंह	दुर्गेश कुमार सिंह	सच्चिदानंद ओझा

अनिल सिंह
अध्यक्ष
दैवी शकुन्तलम प्रतिष्ठान

267

बिहार BIHAR

अनिल सिंह
अध्यक्ष
देवी शकुन्तलम

'देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान्'

का

स्मृति–पत्र

1	संस्था का नाम	इस संस्था का नाम 'देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान्' होगा।
2	निबंधित कार्यालय	इस संस्था का निबंधित कार्यालयः होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुरानी जी. टी. रोड, सासाराम, जिला रोहतास, पिन कोड 821115 (बिहार) में रहेगा। आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान के परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अंदर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी।
3	कार्यक्षेत्र	इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा।
4	उद्देश्य	

इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होगें।

1. विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु शहरों एवं गाँवों में सरकार एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से मदद लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाना तथा शिक्षा पुनर्वास, भोजन, वस्त्र, दवा की व्यवस्था करना।

2. शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रीशियन एवं टेलीविजन निर्माण एवं मरम्मति, टाईपिंग शार्टहैण्ड, ब्यूटीशियन कोर्स, इलेक्ट्रिकल्स, मोटर वाइडिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का प्रयास करना।

3. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास मे मदद करना। तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षण संस्थान का संचालन में मदद करना एवं आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, पत्र–पत्रिका, वाचनालय, पठन–पाठन कक्ष, छात्रावास, आध्यात्मिक शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, हरिजन एवं आदिवासी विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना। गरीब, असहाय, विकलांग अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हरसंभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना।

4. संस्था द्वारा निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अशिक्षित महिलाओं एवं बच्चों को साक्षर बनाने हेतु सर्वशिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, नारी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना।

अध्यक्ष
देवी शकन्तलम प्रतिष्ठान

(26)

5. अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास का समुचित प्रयास करना तथा उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।

6. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में [illegible] अस्पताल का संचालन करना के लोगों के लिए चलन्त दवाखाना, कैंसर, कुष्ठ रक्तदान, नेत्रदान एवं सभी तरह के टीकाकरण शिविर का संचालन करना, मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर नेत्र चिकित्सा शिविर, परिवार नियोजन शिविर, का आयोजन कर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा लाभान्वित करना।

7. लोगों को स्वच्छता के महत्व को समझाना तथा स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालय आवागमन की सुविधा, सिंचाई कुआँ, नलकुप, बोरिंग की सुविधा आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा जलछाजन कार्यक्रमों को संचालित कर लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अलावा नाली ईंटसोलिंग का प्रबंध करना।

8. पर्यावरण को प्रदुषण मुक्त बनाने के लिये वृक्षारोपण कार्यक्रमों एवं प्रदुषण नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करना तथा लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, लगे वृक्ष की रक्षा करने एवं अन्य जानकारी देना। जल वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना तथा गैर पारम्परिक ऊर्जा एवं अन्य जानकारी देना। जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना तथा गैर पारम्परिक ऊर्जा के बारे में जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

9. संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से स्टेज शो, नुक्कड़ नाटक, संगीत, नाटक, वाद्य का प्रशिक्षण आदि का संचालन करेगी।

10. बाढ़ अकाल, भुकंप तथा अन्य दुर्घटनाओं एंव प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य का संचालन करना तथा पीड़ितों के बीच शिविर लगाकर भोजन, स्वच्छ पेयजल, वस्त्र, दवा, चिकित्सा शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना।

11. लोगों को उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, दलित मानवाधिकार, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं संचालन के बारे में जानकारी देना तथा देश के महिला उत्पीड़न, मादा भ्रूण हत्या समाप्त कराने के लिए लोगों को जागरूक करना।

12. लोगों को आथिक विकास हेतु शौचालय, पशुपालन के बारे में जानकारी देना तथा वन्य प्राणियों एवं पशु–पक्षी की रक्षा करना।

मिलान किया
सत्यापित

अनिल सिंह
अध्यक्ष
देवी शकुन्तलम प्रतिष्ठान

13. वृद्ध पुरुष-महिलाओं, विकलांगों, निःशक्तजन, निराश्रितों के लिए आश्रम स्थल, अनाथालय, भोजन, चिकित्सा एवं मनोरंजन केन्द्र का संचालन करना।

14. कृषि में सहयोग हेतु कृषि मंत्रालय/विशेषज्ञों से आर्थिक एवं वैज्ञानिक सहयोग प्राप्त कर कृषकों को मशरूम की खेती, जैविक खाद, कीट नाशक दवा, उन्नत बीज, आधुनिक औजार, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, फाउण्डेशन बीज, साग-सब्जी, औषधीय पौधा, सुगंधित पौधा, तिलहन-दलहन एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन हेतु प्रशिक्षण के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

15. संस्था सूचना तकनीक कम्युनिकेशन के अंतर्गत वेबसाइट, इंटरनेट के संबंध में लोगों को जानकारी एवं प्रशिक्षण दिलाने का कार्य करेगी।

16. संस्था बागवानी, नर्सरी उद्योग फलदार वृक्षों एवं अन्य पेड़-पौधा (कलम) तैयार करने का प्रशिक्षण, कृषकों द्वारा उत्पादित फलों एवं फूलों के भंडारण हेतु शीतगृह की व्यवस्था तथा खपत हेतु बाजार, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने का प्रयास करेगी।

17. महिलाओं के चौमुखी विकास, उनके लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन एंव संचालन करना, महिला जागरूकता का विकास कर महिलाओं को अपनी संस्था के माध्यम से राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही स्वयं सहायता समूह के गठन एवं संचालन की जानकारी देना, प्रशिक्षित कर उन्हें स्थानीय बैंक से जोड़ने का कार्य करना तथा उसे कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने तथा स्वरोजगार दिलाकर आत्म निर्भर बनाने में मदद करना।

18. महिलाओं के लिए आगनबाड़ी बच्चों के विकास के लिए बालवाड़ी, पालना घर एवं नारी शिक्षा केन्द्र का संचालन करना, महिलाओं को जानकारी देना तथा कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जागरूकता का विकास करना।

19. ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए एवं बच्चों, युवाओं युवतियों तथा गरीब लोगों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, अनाथालय, विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान का संचालन करना तथा जन-जन को साक्षर बनाने का प्रयास करना। गरीब एंव मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तक एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करना।

20. देश की अखण्डता की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान का संचालन करना तथा समाज में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता, जातिवाद, धर्मान्धता, आतंकवाद, शोषण, [illegible] नशाखोरी, औषधि दुरूपयोग, हत्या, बलात्कार, महिलाओं पर

मिलान किया

अध्यक्ष

देवी शकुन्तलम्

हो रहे अत्याचार, सामाजिक अपराध, दहेज प्रथा, बाल श्रमिक, महिला [illegible] तथा सामाजिक कुरीतियों के निराकरण हेतु जन चेतना का विकास करना तथा सभा, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन कर जागरूकता का विकास करना तथा इनको समाप्त करने का प्रयास करना।

21. समाज के गरीब, असहाय, विकलांग, दलित, अल्प संख्यक, [illegible] बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विधवा एवं [illegible] महिलाओं के सामाजिक आर्थिक, नैतिक, मानसिक, सांस्कृतिक [illegible] उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं से उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयास करना।

22. असाध्य रोग यथा एड्स, कैंसर, कालाजार, कुष्ठ, हेपेटाइटिस बी, एच0 आई0 वी0 संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक चिकित्सा, दवा, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा सभा, गोष्ठी, पद यात्रा आदि के माध्यम से रोकथाम एंव उन्मूलन के लिए कार्य करना। साथ ही मूक बधिर, नेत्रहीन मानसिक रूप से अविकसित बच्चों, व्यस्कों, महिलाओं के लिए चिकित्सा, पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग की व्यवस्था कराने का हर संभव प्रयास करना।

23. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब असहाय, विकलांग महिलाओं एवं पुरूषों को आत्म निर्भर बनाने के लिए सिलाई, कटिंग, बुनाई, एप्लीक निर्माण, गुड़िया निर्माण, लघु उद्योग, मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, चर्म उद्योग, साबुन उद्योग, [illegible] उद्योग, पशुपालन आदि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण का संचालन करना

24. कला एवं सांस्कृतिक विकास के लिए नृत्य, संगीत, वाद्ययंत्र आदि के माध्यम से कला का प्रचार–प्रसार करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना महिला कलाकार बाल कलाकार एवं युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

मिलान किया

****

अनिल सिंह
अध्यक्ष
देवी शकुन्तला [illegible]

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता /पति का नाम, पता जीविकोपार्जन का साधन एवं पद नीचे दिया गया है। वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है।

क्रमांक	नाम, पिता /पति का नाम,	पता	जीविकोपार्जन का साधन	पद
1	श्री अनिल सिंह पिता-श्री सिया राम सिंह	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार)	व्यवसाय सह समाज सेवा	अध्यक्ष
2	श्री सच्चिदानंद ओझा पिता - स्व0 जगन्नाथ ओझा	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार)	व्यवसाय सह समाज सेवा	सचिव
3	श्री दुष्यंत कुमार सिंह पिता-श्री गोविन्द प्रसाद सिंह	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार)	कृषि सह समाज सेवा	कोषाध्यक्ष
4	श्री प्रदीप गुप्ता पिता-श्री मुरली प्रसाद गुप्ता	नयका मोड़ धर्मशाला, थाना+पो0 - सासाराम, जिला - रोहतास (बिहार)	व्यवसाय सह समाज सेवा	सदस्य
5	आशीष कुमार पिता- प्रेमचंद्र प्रसाद चौरसिया	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार)	समाज सेवा	सदस्य
6	श्री दीपक राव पिता-स्व0 सुखदेव प्रसाद	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार)	व्यवसाय सह समाज सेवा	सदस्य
7	श्री विनोद कुमार पिता- जगदीश प्रसाद गुप्ता	मु0 शेरगंज थाना+पो- सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार)	समाज सेवा	सदस्य

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति मेरे सामने हस्ताक्षर किए है जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

अनिल सिंह

अध्यक्ष

देवी शकुन्तलम प्रतिष्ठान

27

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता / पति का नाम, पता जीविकोपार्जन का साधन एवं पद नीचे दिया गया है! वर्तमान के स्मृति पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अंतर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं :

क्रमांक	नाम, पिता / पति का नाम	पता	जीविकोपार्जन का साधन	पद	हस्ताक्षर
1	श्री अनिल सिंह पिता–श्री सियाराम सिंह	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो०+अंचल सासाराम, जिला–रोहतास (बिहार)	व्यवसाय सह समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	श्री सच्चिदानंद ओझा पिता – स्व० जगन्नाथ ओझा	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो०+अंचल सासाराम, जिला–रोहतास (बिहार)	अध्ययन सह समाज सेवा	सचिव	
3	श्री दुष्यंत कुमार सिंह पिता–श्री गोविन्द प्रसाद सिंह	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो०+अंचल सासाराम, जिला–रोहतास (बिहार)	कृषि सह समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	
4	श्री प्रदीप गुप्ता पिता–श्री [illegible] प्रसाद गुप्ता	[illegible], थाना+पो० – सासाराम, जिला – रोहतास (बिहार)	व्यवसाय सह समाज सेवा	सदस्य	
5	आशीष कुमार पिता– प्रेमचंद्र प्रसाद चौरसिया	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो०+अंचल सासाराम, जिला–रोहतास (बिहार)	समाज सेवा	सदस्य	
6	श्री दीपक राज पिता–स्व० सुखदेव प्रसाद	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो०+अंचल सासाराम, जिला–रोहतास (बिहार)	व्यवसाय सह समाज सेवा	सदस्य	
7	श्री विनोद कुमार पिता– जगदीश प्रसाद गुप्ता	मु० शेरगंज थाना+पो–सासाराम, जिला–रोहतास (बिहार)	समाज सेवा	सदस्य	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति मेरे सामने हस्ताक्षर किए है जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

हस्ताक्षर :

नाम :

NOTARY

ATTESTED

अध्यक्ष

'देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान्'
की
नियमावली

1	परिभाषा:	
क)	संस्था से अभिप्राय है	'देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान्'
ख)	समिति से अभिप्राय है:	संस्था की कार्यकारिणी समिति।
ग)	पदाधिकारी का अभिप्राय है:	अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष।
घ)	वर्ष से अभिप्राय है	01 अप्रैल से 31 मार्च तक।
ङ)	एक्ट से अभिप्राय है:	सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860।

2 सदस्यता:

कोई भी महिला एवं पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे और जो संस्था के नियम एवं उद्देश्यों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकेंगे। सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाएगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/-रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

3 सदस्यता से विमुक्ति:

क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।
ख) पागल या मृत्यु होने पर
ग) न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
घ) सदस्यता शुल्क लगातार तीन वर्ष तक नहीं देने पर।
ङ) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
च) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

4 कार्यकारिणी समिति का गठन:

क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित कम से कम 7 सदस्य होंगे।
ख) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा के द्वारा किया जायेगा।
ग) समिति का कार्यकाल पांच वर्षों की होगी। सेवा निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं
घ) अगर समिति का कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा। चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे।

अध्यक्ष
देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान

5	कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य: क) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होना। ख) संस्था के सभी कार्यों का संपादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना। ग) शाखा एवं उपशाखा का गठन करना। घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।
6	आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य: क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना। ख) संस्था के आय–व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना।
7	बैठक: क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में होगी। ख) आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी। ग) कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है। घ) आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।
8	बैठक की सूचना: क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना–7 दिन पूर्व दी जाएगी। ख) आम सभा के बैठक की सुचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी। ग) कार्यकारिणी की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जायेगी। घ) आमसभा की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी। ङ) बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी।
9	प्रार्थित बैठक: दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति करके एक माह के अंदर सचिव को बैठक बुलाना होगा। यदि सचिव उक्त अवधि के अंदर बैठक का आयोजन नही करते है तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के के लिए बैठक का आयोजन कर सकते है।
10	कोरम (गणपूर्ति): प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 3/5 होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्यक्ष

11	पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार: अध्यक्ष: क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना। ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना। ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना। घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना। सचिव: क) संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना। ख) संस्था की ओर से पत्राचार करना। ग) आय–व्यय का लेख बैठक में प्रस्तुत करना। घ) संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना। ङ) कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना। च) कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना। छ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना। कोषाध्यक्ष: क) संस्था के आय–व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना। ख) संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना। ग) संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना। घ) आवश्यकतानुसार अपने पास 1000/– रूपये तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना।
12	आय का श्रोत: क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क। ख) सरकारी, गैरसरकारी, दान, अनुदान, सहायता। ग) प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिक्री से।
13	निधि का अंकेक्षण. क) संस्था की आय–व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से प्रतिवर्ष अंकेक्षित कराया जाएगा। ख) निबंधन महानिरीक्षक, बिहार अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं। इस अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

अध्यक्ष

देवी

14	**कोष का संचालन:** संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा। जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।
15	**पंजी का निरीक्षण:** संस्था का सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।
16	**नियमावली में संशोधन:** नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा।
17	**कानूनी कार्रवाई:** संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी।
18	**विघटन एवं विघटनोपरांत सम्पत्ति की व्यवस्था:** क) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा-13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा। ख) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा। ग) विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बाँटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव
अनिल सिंह	कुन्दन कुमार सिंह	सच्चिदानन्द शर्मा

****

अनिल सिंह
अध्यक्ष
देवी शकुन्तलम प्रतिष्ठान

पत्र संख्या-नि० सं०-10.26.36../2009 [illegible] (278) (48)

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

देवी शकुन्तलम प्रतिष्ठान ....

....

....

....

पटना, दिनांक [illegible]

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत दाखिल / निबंधित, अभिलेखित किया गया / किये गये।

फीस का ज्ञाप रु० 50/-(पचास रुपये) केवल

संस्था स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव, ...
देवी शकुन्तलम प्रतिष्ठान
होटल भोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुराना जी० टी० रोड, सासाराम, जिला-रोहतास, पिन कोड-821115
(बिहार)।

की सेवा में उनके पत्र संख्या ...शून्य... दिनांक [illegible] 2009 के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है, प्राप्ति की सूचना दें।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन
बिहार, पटना

अनिल सिंह
अध्यक्ष
देवी शकुन्तलम प्रतिष्ठान